संयुक्त प्रेस वक्तव्य

समान सिविल कोड मंज़ूर नहीं : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लिंगायत, बौद्ध व अन्य पिछड़ा अल्पसंख्यक और मुसलमान

20 अक्टूबर 2016 (नई दिल्ली)

हालिया दिनों में एनडीए सरकार द्वारा लिए गए फैसले और 2014 लोकसभा चुनाव में सरकार के ज़रिये जारी किये गए मैनिफेस्टो से कई गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। इस से देश के न सिर्फ सैकड़ों धार्मिक समूहों के मौलिक अधिकार प्रश्न चिन्ह लग गए हैं हुए बल्कि अन्य समूह जैसे अनुसूचित जनजाति व अन्य जो ब्राह्मणी हिन्दुत्व पर विश्वास नहीं करते जिन्हें संविधान विशेष अधिकार और संरक्षण देता है उनपर पर खतरा मंडरा रहा है। संविधान इस समूह को विशेष संरक्षण और अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हालिये फैसले में जो कि एक हिंदू पति पत्नी का मामला था जो मुस्लिम या अन्य अल्पसंख्यक समूह से सम्बंधित नहीं था, एक बहुत ही गंभीर समान नागरिक संहिता के रूप में परिवर्तन कर दिया गया। प्रकाश व अन्य बनाम फूलवती व अन्य का मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर तीन तलाक़ और फिर समान नागरिक संहिता की बहस देश में छिड़ गई। ठीक इसी समय सरकार ने भी लॉ कमिशन के द्वारा एक प्रश्नावली लाकर नागरिकों से इसपर अपनी राय मांगनी शुरू की है। लॉ कमीशन की प्रश्नावली में कई खामियों के इलावा सरकार की समान नागरिक संहिता पर चोर दरवाजे से प्रयास भी मालूम पड़ता है।

हम सब लोग अलग अलग समूह जिसमे अनुसूचित जाति,जनजाति, लिंगायत, बौद्ध और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग सरकार के इस प्रयास की घोर निंदा करते हैं। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से असहमति जताते हैं जिसके तहत धार्मिक समूह,अल्पसंख्यक,अनुसूचित जाति, जनजाति, बौद्ध और अन्य समूहों के नागरिक अधिकार प्रभावित होता है।

हमारी मांग है कि इसपर तुरंत संज्ञान लिया जाए ताकि नीति निर्देशक तत्व बनाम मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार बनाम मौलिक अधिकार के बीच का झगड़ा खत्म हो। इसके साथ हमारी ये भी मांग है कि विभिन्न वर्ग जिनके बारे में ये समझा जाता है कि वो हिन्दू धर्म मानते हैं लेकिन उन्हें हिन्दू कानून की कई धाराओं से बाहर कर दिया गया है। विभिन्न समूह जिन्हें हिन्दू माना गया है लेकिन वो ब्राह्मणी हिन्दुत्वा और उसके प्रैक्टिसेज से खुद को अलग करते हैं। हमारा मानना है कि लॉ कमीशन की प्रश्नावली देश की एकजहती, सालमियत और सामाजिक ताना बाना के लिए खतरा है।

हम अपने संवैधानिक अधिकार के तहत ये समझते हैं कि इस मुद्दे को संवैधानिक तरीके से जनता तक ले जाएँ।

हमें यक़ीन है कि सरकार देश के सामजिक ताने बाने और एकजहति और सालमियत को बचाने की खातिर इस प्रश्नावली को वापस लेकर देश में अम्न व सलामती और भाईचारे के माहौल को पैदा करेगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वालों में

मेश राम, कोरनेश्वर स्वामी , प्रो0 हस्ते, प्रेम कुमार, अधिवक्ता ज़हर सिंह कश्यप, मौलान वली रहमानी, तौक़ीर रज़ा खान आदि।